

फर्द अहकाम

31/3/2021 प्रस्तावती देना हुई। मायल वकील उणासीत
 मायल वकील ने आवगत कराया कि मायल उणासीत
 आगे नहीं चलाया जाएगा। मायल उणासीत
 को नोटिस में स्थापित कराया जाएगा।
 अतः मु. नं. 109/16 विनियम के तहत उणासीत
 मायल को नोटिस में स्थापित किया जाता
 है। प्रस्तावती के तहत शुभारंभ कर रखने से
 काम है।

Post
 10/7/21
 A

31-03-21
 उपजिला कलेक्टर
 हिण्डौन (वि. कोली)

